न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 36/2016 G.C.M.S. No. 2016/00332 दर्ज दिनांक : 15.06.2016

अपीलार्थी:

1. तारीया पुत्र मंछा, उम्र 57 साल, जाति मेघवाल, निवासी मडगांव, तहसील व जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मीठाराम
2. भोमाराम
3. जोगाराम
4. चोपूदेवी बेवा हरिया, जातियान मेघवाल, निवासीगण मड़गांव, तहसील व जिला जालोर।
5. आसाराम पुत्र पूरा, जाति मेघवाल, निवासी रेवतड़ा, तहसील सायला व जिला जालोर।
6. कविता कुमारी पुत्री आसाराम, जाति मेघवाल, निवासी रेवतड़ा, तहसील सायला व जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2013 बअनवान तारीया बनाम मीठालाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2016

पैरोकार:-

1. श्री मधुसूदन व्यास, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री अशोककुमार माली, श्री सतपाल पुरोहित, श्री तुलसीराम, श्री बलदेव पुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2013 बअनवान तारीया बनाम मीठालाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है-

यह कि हस्तगत प्रकरण में मौजा बाकरा रोड़, तहसील जालोर जिला जालोर में वादी के खसरा नम्बर 31 रकबा 2.0300 हैक्टेर किस्म चाही सोयम की भूमि आयी हुई हैं। इसके पास ही भूमि खसरा नमबर 32, 33, 34 की भूमि आयी हुई हैं। खसरा नम्बर 31, 32, 33, 34 के मध्य कोई माठ नहीं हैं। इन चारों खसरा नम्बर की भूमि पर कब्जा काश्त वादी का है। बारिश होने पर वादी ने खडाई कर चारों खसरा नम्बर पर बाजरी व मूंग की फसल उगायी हैं, जो मौके पर खड़ी हैं। खसरा नम्बर 34 व 33 के पश्चिम दिशा में सड़क चलती हैं जिसके खसरा नम्बर 53 है। गैर मुमकिन सडक के पश्चिम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दिशा में खसरा नम्बर 179 की भूमि आयी हुई हैं। खसरा नम्बर 179 के खातेदारी हक राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण 1 से 5 के हैं। खसरा नम्बर 32 गैर मुमकीन रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, लेकिन मौके पर कोई रास्ता नहीं चलता है। पहले यह कच्चा रास्ता था जो खसरा नम्बर 53 गैर मुमकीन सडक निकलने के कारण बन्द हो गया। खसरा नम्बर 32 मौके पर रास्ता नहीं है। इस पर कब्जा काश्त वादी का हे। खसरा नम्बर 32 रकबा 0.20 हैक्टेर पर वादी का कब्जा काश्त करीब 30 वर्षों से अधिक समय से चला आ रहा है, यानि खसरा नम्बर 32 रकबा 0.20 हैक्टेर पर वादी का कब्जा काश्त गैर मुमकीन सडके खसरा नम्बर 53 निकली तब से चला आ रहा है। गैर मुमकीन सडक खसरा नम्बर 53 के गत खसरा नम्बर 139 में निकली है। गत खसरा नम्बर 139 प्रतिवादीगण 1 से 5 के पिता व पति की खातेदारी आराजी थीं। प्रतिवादीगण के पिता व पति का स्वर्गवास हो जाने के कारण म्युटेशन के जरिये प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 के नाम दर्ज हुई हैं। खसरा नम्बर 34 गत खसरा नम्बर 139 से बनना मिलान क्षेत्रफल में बताया गया। जिस पर कब्जा काश्त वादी का पिछले 40 वर्ष से चला आ रहा है। गत खसरा नम्बर 139 में से रास्ता निकलने के बाद सडक के पूर्व दिशा में प्रतिवादीगण का या इसके पिता या पति का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। गैर मुमकीन सडक प्रतिवादीगण के गत खसरा नम्बर 139 के बिल्कुल पूर्व दिशा की माठ पर निकाली गयी थी। इसके बाद प्रतिवादीगण की कोई भूमि नहीं आती है। इसकी जानकारी प्रतिवादीगण व हर आम व खास को है। प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 ने खसरा नम्बर 179, 34 की भूमि का बेचान प्रतिवादी सं. 6 को कर दिया है। खसरा नम्बर 34 पर कभी भी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा है। खसरा नम्बर 34 पर कब्जा काश्त वादी का पिछले 40 वर्षों से प्रतिवादीगण के घोर विरोध के बावजुद चला आ रहा है। प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 के पिता/पति ने कई बार कब्जा करने के असफल प्रयास किये, लेकिन कब्जा नहीं कर सके। खसरा नम्बर 34 पर 40 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा है। भारतीय म्याद अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रतिवादीगण का अब वादी से कब्जा प्राप्त करने का अधिकार म्याद बाहर हो चुका है। राजस्थात काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के तहत वादी इसके खातेदारी हक व अधिकार प्राप्त करने का अधिकार रखता है। जिस हेतु वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध खसरा नम्बर 34 की भूमि वादी की घोषित करने हेतु वाद प्रस्तुत करता है। वादी को यह वाद लाने का हक प्राप्त है। खसरा नम्बर 34 पर वादी का पिछले 35–40 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा काश्त है। वादी ने भूमि में खादबीज देकर भूमि को उपजाऊ बनाया है। बारिश होने पर खडाई कर फसल बोयी है जो मौके पर खडी है। राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 34 की भूमि प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 के नाम दर्ज होने से तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 द्वारा प्रतिवादी सं. 6 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बेचान करने से खसरा नम्बर 34 पर कब्जा खाली करने की बात वादी को की। तब वादी ने तहसीलदार को प्रार्थना पत्र पेश किया तथा बताया कि भूमि खसरा नम्बर 34 पर वादी का कब्जा है। इस कारण बिना कब्जे के म्युटेशन स्वीकृत नहीं करावे। चूंकि भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं है तथा भूमि का बिना कब्जे के बेचान हो चुका है, इस कारण कब्जा करने की नियत से प्रतिवादीगण ने एक गिरोह बना रखा है तथा भूमि खसरा नम्बर 34 पर जोर जबरदस्ती लाठी के बल पर कब्जा करना चाहते है, जबकि वादी का कब्जासुदा भूमि खसरा नम्बर 34 पर पिछले 35–40 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा प्रतिवादीगण की जानकारी में एवं गांव के हर आम व खास की जानकारी में चला आ रहा है। प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 ने व इनके पिता/पति ने कई बार कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इसमें सफल नहीं हुए। प्रतिवादीगण भूमि खसरा नम्बर 34 पर अब कब्जा करने के अधिकार खो चुके है। जब भूमि पर कब्जा किसी अन्य का हो तो विधि के अनुसार कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही करनी होती है। भारतीय म्याद अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के तहत भूमि खसरा नम्बर 34 पर से कब्जा प्राप्त करने का अधिकार प्रतिवादीगण खो चुके हैं। इस वाद में रेस्पोडेन्ट ने जबाव दिया था और जबाव के बाद यह पत्रावली कायमी तनकीयात में पिछले लगभग डेढ साल से चल रही थी। 25.05.2015 को यह पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान में प्रस्तुत की गयी थी परन्तु उस समय इस पर कोई निर्णय अथवा आदेश पारित नहीं किया गया तथा यह पत्रावली पुनः कायमी तनकीयात तथा बहस टीआई में रखी गयी थी। दिनांक 28.04.2016 को यह पत्रावली इसी काम के लिये आगे स्थगित करते हुये दिनांक 11.08.2016 को रखी गयी थी परन्तु दिनांक 11.05.2016 को इस पत्रावली को बिना किसी साक्ष्य के तथा बिना किसी आधार के केवल मात्र यह लिखते हुये कि न्याय हित में दावा खारिज किया जाता है। राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार के बारे में जो परिपत्र दिनांक 22.04.2016 को राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप एक द्वारा जारी किया गया है। उसमें तथा उसके पूर्व के सारे परिपत्रो में मामले को राजीनामा के आधार पर निर्णित किये जाने का प्रावधान रखा गया है। यह परिपत्र जालोर जिला प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश पुस्तिका के रूप में सभी अधिकारियो को दिये गये हैं तथा सबको पढाये भी गये है समझाये भी गये है इस पर भी केवल मात्र किसी मुकदमे का फैसला करने के उद्देश्य से बिना किसी आधार के मामले का निस्तारण करने के लिये वाद को खारिज करना विधि तथा नियम एवं परिपत्र तीनो के विपरीत है। इस मामले में मौके पर तनकी बनायी जा सकती थी तथा पक्षकारो के बयान लिये जा सकते थे। मौका निरीक्षण किया जा सकता था और उसके बाद मामले का निस्तारण किया जा सकता था परन्तु बिना किसी आधार के केवल मात्र दावा जबाव दावा को संक्षिप्त में लिख कर किसी वाद को खारिज

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया जाना विधि के विपरीत है। मौका का निरीक्षण करने की रिपोर्ट भी नहीं हैं। मजमे आम में किससे पूछा गया यह भी जानकारी नहीं है। इस प्रकार से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय तथा डिक्री विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2016 द्वारा खारिज किया गया है। जिसके विरूद्ध वादीगण अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई हैं।
2. रेस्पोंडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में समान पक्षकारान के विरूद्ध समान आनुतोष के लिए अधीनस्थ न्यायालय में ही पूर्व में राजस्व वाद संख्या 56/2007 प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.08.2011 को आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध कोई चाराजोही नहीं कर पुनः समान विषयवस्तु पर नवीन वाद प्रस्तुत कर दिया। जिसे दिनांक 11.05.2016 को खारिज किया गया। जिसके खिलाफ अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में निर्णय दिनांक 04.08.2011 को छुपाते हुए प्रस्तुत किया है। जिससे अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमावें।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर विरोध करते हुए खण्डन किया।
4. चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र हस्तगत अपील की पोषणीयता से संबंधित है। अतः इसे सर्वप्रथम निर्णित करना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ही प्रस्तुत पूर्ववर्ती वादपत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत खारिज किया गया। अर्थात पूर्ववर्ती वादपत्र गुणावगुण के आधार पर निर्णित नहीं किया गया था तथा आदेश 9 नियम 5 (2) में यह प्रावधान है कि आदेश 9 नियम 5 के अंतर्गत वादपत्र खारिज किये जाने की दशा में वादी परिसीमा अवधि के अधीन रहते हुए नया वाद ला सकता है। चूंकि प्रकरण खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। जिसके लिए कोई परिसीमा निर्धारित नहीं हैं। अतः वादी अपीलांट प्रकरण में हस्तगत पश्चातवर्ती नवीन वाद प्रस्तुत करने के लिए कानूनन सक्षम है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

ऐसा किया जाना किसी भी विधि से वर्जित नहीं हैं। लिहाजा, रेस्पोंडेंट का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष बाबत वादपत्र दिनांक 07.01.2013 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण कायमी तनकीयात हेतु नियत था तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.07.2016 को नियत थीं। इसी दरम्यान विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2016 को पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प कोई बाकरा रोड़ में विचारार्थ लेकर प्रकरण में विवाद्यक कायम किए बिना एवं किसी भी पक्षकारान की साक्ष्य लिए बिना तथा पक्षकारान द्वारा राजीनामा निष्पादित किए बिना एवं पक्षकारान की गैर मौजूदगी में इस अंकन के साथ कि "वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 34 अप्रार्थीगण संख्या 6 की खरीदशुदा भूमि हैं। मौके पर कब्जाकाश्त क्रेता का हैं तथा रजिस्ट्री के मुताबिक प्रतिवादी संख्या 6 के नाम म्यूटेशन दर्ज हो गया है। वादग्रस्त आराजी से वादी का कोई लेना–देना नहीं हैं। न्यायहित में यह दावा खारिज योग्य होने से दावा वादी खारिज किया जाता है।" के साथ वादपत्र खारिज कर दिया गया। हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्रों के सम्यक निर्णयन के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 से 20 में यथाप्रावधित विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का अनुपालन किए बिना तथा इन्हें नजरअंदाज करते हुए पत्रावली कायमी तनकीयात में नियत होने के बावजूद तनकीयात कायम किए बिना तथा वादी व प्रतिवादीगण को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का अवसर दिए बिना कैम्प कोर्ट में अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादपत्र खारिज किया गया। जोकि पूर्णतया विधिविरूद्ध व दूषित है तथा काबिल अपास्त है।

6. अतः हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिसम्मत नहीं होने तथा अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील बखूबी साबित करने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2013 बअनवान तारीया बनाम मीठालाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों का समुचित अनुपालन करते हुए दावा व जवाबदावा के आधार पर विवाद्यक कायम किए जाकर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत साक्ष्य का संगत विधिक प्रावधानों के आलोक में विवाद्यकवार पृथक–पृथक विवेचन व सकारण निर्णयन करते हुए वादपत्र विधिनुरूप पुनः निर्णित व डिक्री करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 20.07.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर जालोर में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.05.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राज(डॉ.अयास्कर) बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली